

**विदेशी उत्पादक प्रमाणन विभाग**

हमारे संदर्भ: FMCD/11: 2

8 जनवरी 2020

**विषय: एफएमसीएस यात्रा के लिए एआईपीआर के बारे में।**

यह कृपया ध्यान दिया जा सकता है कि, एफएमसीएस के तहत यात्रा के लिए अधिकारी के नामांकन के लिए प्रशासनिक और सतर्कता मंजूरी आवश्यक है। इस संबंध में, वर्ष 2019 के लिए वार्षिक अचल संपत्ति रिटर्न (एआईपीआर) के संबंध में सतर्कता विभाग के नोट Vig./10:13/2018-19/1459 दिनांक 06.01.2020 को इंटरनेट के माध्यम से परिचालित ।

सभी वैज्ञानिक संवर्ग अधिकारी से अनुरोध है कि 31.01.2020 से पहले सतर्कता विभाग को उपरोक्त परिपत्र के अनुपालन में AIPR प्रस्तुत करें। शाखा प्रमुख / विभागाध्यक्ष। कृपया यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करें कि सभी अधिकारी 31-01-2020 तक सतर्कता विभाग को एआईपीआर जमा करें।

(ए के पुरोहित)  
वैज्ञानिक ई और प्रमुख

**सभी वैज्ञानिक संवर्ग अधिकारी (इंटरनेट के माध्यम से) परिचालित**

**FMCD**

**Our Ref.: FMCD/11:2**

**8<sup>th</sup> January 2020**

**Subject: Regarding AIPR for FMCS Visit.**

It may kindly be noted that, administrative and vigilance clearance are required for nomination of officer for visit under FMCS. In this regards, please refer to Vigilance department note Vig./10:13/2018-19/1459 dated 06.01.2020 circulated through intranet regarding Annual Immovable Property Return (AIPR) for year 2019.

All scientific cadre officer are therefore requested to submit the AIPR, in compliance to the above circular to Vigilance Department before 31.01.2020. The Heads of BOs /Dept. are kindly requested to ensure that all officers submit AIPR to vigilance department by 31-01-2020.

(A K Purohit)  
Sc.E & H

**Circulated to Scientific cadre Officer (through Intranet)**